

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-206/2022-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2022

डा० प्रिती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी, गया द्वारा दिनांक 04.01.2025 से 05.08.2025 तक कुल 214(दो सौ चौदह) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1465(25), दिनांक 15.07.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त अवकाश को घटाने के पश्चात डा० प्रिती को कुल 211(दो सौ ग्यारह) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय है।

3. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-2/एल-206/2022-

25(2)

पटना, दिनांक 07/01/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, टेकारी, गया/डा० प्रिती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।